Most Urgent

सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)
☎ : 0141-2385027(O), Fax: 0141-2385027
E-Mail ID: rajpr_dsplan@rediffmail.com

क्रमांकः एफ 4( )पराविं/आप्र/PSP/2016-17/895 जयपुर, दिनांकः 28/7/2017

जिला कलक्टर,
जिला –समस्त।

विषयः–पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार 2018 (मूल्यांकन वर्ष 2016–17) दिये जाने के संबंध में।

पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार (PSP) 2018 (मूल्यांकन वर्ष 2016–17) के लिये निम्न तीन प्रकार के पुरस्कार 24 अप्रैल, 2018 को दिये जावेगें।

1. **दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार (DDUPSP)** में सभी ग्राम पंचायतों को सामान्य प्रश्नावली भरना अनिवार्य है तथा 9 विषयों की प्रश्नावलियों में से किन्ही एक जिसमें ग्राम पंचायतों में उत्कृष्ट कार्य किये हैं, भरा जाना है तथा पंचायत समिति एवं जिला परिषद द्वारा सामान्य प्रश्नावली में ही आवेदन किया जाना है।
2. **नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार (NDRGGSP)** में सभी ग्राम पंचायतें उपलब्ध प्रश्नावली में अपना आवेदन करेगीं।
3. **महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGS)** में सभी ग्राम पंचायतें उपलब्ध प्रश्नावली में अपना आवेदन करेगीं।

अपने जिले में Schedule-V की अनुसूचित क्षेत्र की सभी पंचायतें समस्त प्रश्नावली (**DDUPSP, NDRGGSP, MGNREGS**) में अपना आवेदन करना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त सभी प्रश्नावली पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार की **वेबसाईट www.panchayatward.gov.in पर दिनांक 21 जुलाई, 2017 से 25 अगस्त, 2017 तक** भरना सुनिश्चित करवायें। आवेदन के साथ कम से कम पांच दस्तावेज भी अपलोड किये जाने है। ऑनलाईन आवेदन हेतु पंचायती राज संस्थाओं के यूजर आईडी एवं पासवर्ड समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को प्रेषित किये जा चुके हैं।

दिनांक 25 अगस्त, 2017 से 4 सितम्बर, 2017 तक पंचायत समिति स्तरीय मूल्याकंन समिति (BLC) के यूजर आई. डी. एवं पासवर्ड से प्राप्त आवेदनों का Subjective Assessment कर सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली दो ग्राम पंचायतों के नाम स्वयं के आवेदन सहित जिला स्तरीय मूल्याकंन समिति(DLC) को अग्रेषित करेंगें।

दिनांक 5 सितम्बर, 2017 से 12 सितम्बर, 2017 तक जिला स्तरीय मूल्याकंन समिति (DLC) के यूजर आई. डी. एवं पासवर्ड से जिले की समस्त पंचायत समितियों से प्राप्त आवेदनों का Subjective Assessment कर, जिला परिषद के आवेदन सहित सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली दो ग्राम पंचायत एवं दो पंचायत समितियों का नाम राज्य स्तरीय पंचायत मूल्याकंन समिति (SPAC) को अग्रेषित करेंगें।

अतः आपसे अनुरोध है कि पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार योजना का जिले में व्यापक प्रचार–प्रसार करवाकर पंचायती राज संस्थाओं से शत–प्रतिशत ऑनलाईन आवेदन भरवाया जाना सुनिश्चित करें। यह भी उल्लेखनीय है कि यह एक समयबद्ध कार्यक्रम है, जिसे नियत समयावधि में ही पूर्ण किया जाना है।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करावें।

(नवीन महाजन)
शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती पंचायती राज विभाग।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद–समस्त।
3. मुख्य आयोजना अधिकारी जिला आयोजना प्रकोष्ठ–समस्त।
4. तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी. सचिवालय, जयपुर।
5. श्रीमती नीलू जैन, एनालिस्ट कम प्रोग्रामर एवं उप निदेशक मुख्यालय। विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु
6. प्रभारी, स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट यूनिट(SPMU), मुख्यालय।
7. विकास अधिकारी, पंचायत समिति–समस्त।

संयुक्त निदेशक(मोनेटरिंग)